"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2025—पौष 5, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 दिसम्बर 2025

क्रमांक File No. PLGMJ-2301/4/2024-GAD-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 30-10-2025 कुल 01 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. भूआर्य, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर 2025

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/5761/भू-अर्जन/2025.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
दन्तेवाड़ा	गीदम	फुण्डरी	0.20 हे.	भैरमगढ़ बोदली से बांगोली मार्ग इन्द्रावती नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक / /2025 को समय 11.00 बजे स्थान कार्यालय ग्राम पंचायत फुण्डरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	भैरमगढ़ बोदली से बांगोली मार्ग इन्द्रावती नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	35.00 करोड़
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सार्वजनिक मार्ग
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5,33,345.00 रु. जिला (भू-अर्जन शाखा) द. ब. दन्तेवाड़ा में जमा किया गया हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर 2025

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/5763/भू-अर्जन/2025.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
दन्तेवाड़ा	गीदम	बिंजाम	0.98 हे.	बिंजाम से फरसपाल मार्ग के कि.मी. 2/2-4 शंकनी-डंकनी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक / /2025 को समय 11.00 बजे स्थान कार्यालय ग्राम पंचायत बिंजाम पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बिंजाम से फरसपाल मार्ग के कि.मी. 2/2-4 शंकनी-डंकनी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	1405.51 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सार्वजनिक मार्ग
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	7,17,854.00 रु. जिला (भू-अर्जन शाखा) द.ब. दन्तेवाड़ा में जमा किया गया हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 27 नवम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2024-25/3925.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	पेण्ड्रा	पेण्ड्रा प.ह.नं. 01	1.945	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही	अरपा उद्गम स्थल का विकास एवं जल कुण्ड निर्माण कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सक्ती छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 19 नवम्बर 2025

क्रमांक/587/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सक्ती
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-साराडीह, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.432 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
131	0.040
132	0.093
147/3	0.040

	(1)	(2)
	147/4	0.085
	606	0.243
	619	0.259
	625/1	0.267
	627/1	0.405
योग	8	1.432

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैरॉज योजनांतर्गत बायें तट अप्रोच ब्रिज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

क्रमांक/9429/अ-82/भू-अर्जन/2025.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-कोल्हुआ-कोटराही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1688	0.07
	1687/4	0.03
	1677/7	0.02
	1677/8	0.01
	1261	0.02
	126/2	0.18
योग	06	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोल्हुआ कोटराही मार्ग पर इरिया नदी में पुलिया निर्माण योजना अंतर्गत कोल्हुआ एवं कोटराही हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्रमांक/690/अ.भू.अ./स्था./2025.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधरा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डी. राहुल वेंकट कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित भूमि) में भू-सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र जारी

अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बंद किए जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का नं.	ग्राम का नाम (जिस ग्राम में असर्वेक्षित भूमि को सम्मिलित किया जाना है)	राजस्व सर्वेक्षण प्रारंभ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)	मनेन्द्रगढ़	मनेंद्रगढ़ (ग्रामीण)	09	चैनपुर	• **पूर्व**-ग्राम चिउटीमार की सीमा • **पश्चिम**-चैनपुर की सीमा • **उत्तर**-ग्राम चिउटीमार की सीमा • **दक्षिण**-ग्राम चैनपुर की सीमा	भू-सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित भू-खण्ड ग्राम चैनपुर एवं चिउटीमार सीमा के मध्य अवस्थित है

डी. राहुल वेंकट
कलेक्टर एवं
जिला सर्वेक्षण अधिकारी.